परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 02.02.2013 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 02.02.2013, दिन बुधवार को अपराह्न 03:30 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिकस भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहें :–

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 श्याम बाबू गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह, प्राचार्य, सर्वोदय डिग्री कालेज, सलोन, रायबरेली	सदस्य
4.	प्रो0 मृदुला भदोरिया, अचार्या, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
5.	डॉ0 आशा रानी राय, प्राचार्या, कानपुर विद्या मन्दिर महाविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
6.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
7.	प्रो0 सुभाष अग्रवाल, शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 सुशील कुमार शर्मा, प्राचार्य, जनता महाविद्यालय, अजीतमल, औरैया।	सदस्य
9.	डॉ0 नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 आर0के0 सिंह, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी शिक्षक एसोसिएशन।	सदस्य
11.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 05.12.2012 एवं दिनांक 07.01.2013 के कार्यवृत्तों के सम्पुष्टिकरण पर विचार :–**

   परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 05.12.2012 एवं दिनांक 07.01.2013 के कार्यवृत्तों को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

2. **संस्थागत परीक्षा–2013 से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र/नोडल केन्द्र व समय सारिणी निर्धारित किये जाने पर विचार :–**

   i. संस्थागत परीक्षा–2013 से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र/नोडल केन्द्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति व शासन द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से प्रतिबन्धित किये गये महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालयों को केन्द्र बनाने पर विचार किया जाय। गतवर्ष की परीक्षा हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों को सामान्यतया यथावत रखा जाय तथा आवश्यकता पड़ने पर राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालय को नोडल केन्द्र बनाया जाय।

   ii. सत्र–2013 से सम्बन्धित संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाएं क्रमशः 08 मार्च, 2013 व 08 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करायी जाय। परीक्षा समिति ने उक्त परीक्षाओं के विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

3. **जिन महाविद्यालयों में एक भी प्राचार्य/शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है उनमें केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर विचार :–**

100 से अधिक छात्र संख्या वाले ऐसे महाविद्यालयों में जहां प्राचार्य व एक भी शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, वहां गतवर्ष की भाँति राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को वरीयता प्रदान करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों को भी केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर परीक्षा सम्पन्न करायी जाय। परीक्षा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महाविद्यालयों से 18 फरवरी, 2013 तक अनिवार्य रूप से शिक्षक अनुमोदन करा लेने हेतु कहा जाय।

4. **जिन महाविद्यालयों में छात्र संख्या 100 से कम है तथा प्राचार्य व शिक्षक भी अनुमोदित नहीं है। उन महाविद्यालयों को समीपस्थ अन्य महाविद्यालयों में परीक्षा हेतु सम्बद्ध करने पर विचार :–**

उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निम्नांकित निर्णय लिए :–

i. 100 से कम छात्र संख्या वाले महिला महाविद्यालयों व विधि महाविद्यालयों की परीक्षा स्वकेन्द्र प्रणाली के अन्तर्गत मद सं0–03 पर अंकित व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करायी जाय।

ii. महिला महाविद्यालय से इतर उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों की परीक्षा समीपस्थ स्थित राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में सम्पन्न करा ली जाय।

5. **परीक्षा केन्द्रों/नोडल केन्द्रो को निर्गत किए जाने वाले निर्देशों पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षा से सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रेषित किये जाने वाले परीक्षा सम्बन्धी निर्देशो पर अपनी सहमति प्रदान की।

6. **पर्यावरण अध्ययन प्रश्नपत्र की परीक्षा में वस्तुतः अनुत्तीर्ण किन्तु अंकपत्र में त्रुटिवश उत्तीर्ण अंकित हो जाने के कारण सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कृपांक दिए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से पर्यावरण अध्ययन प्रश्नपत्र में भी अन्य विषयों की भाँति निर्धारित अंकों का कृपांक अगले सत्र से दिये जाने की अनुशंसा कार्यपरिषद से करने का निर्णय लिया।

7. **प्रयाग महाविद्यालय, शिवमंगलनगर, हेतापट्टी, इलाहाबाद को काली सूची से हटाए जाने पर विचार :–**

उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत न्यायालय से सत्यापित आरोप पत्र का अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रस्तुत आरोप पत्र के सापेक्ष माननीय न्यायालय का आदेश यदि कोई हो तो, उसे परीक्षा समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

<u>अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–</u>

1. **कु0 रेनू वर्मा, छात्रा, बी0एड0 वर्ष–2011 के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2013 पर विचार :–**

सुश्री वर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2013 के माध्यम से अवगत कराया है कि उसकी बी0एड0–2011, (अनुक्रमांक–091081, राम जानकी महाविद्यालय, असई बैरी, क़ानपुर देहात) की अंकतालिका में उसे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। किन्तु पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्नपत्र में 27 अंक प्राप्त होने के कारण इन्टरनेट में प्रदर्शित अंकतालिका में अनुत्तीर्ण दर्शाया गया है। छात्रा ने उक्त प्रकरण के समान बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्य अभ्यर्थियों को भी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाय।

2. **सेवानिवृत्त आई0ए0एस0, श्री यशपाल के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2012 पर विचार :–**

श्री यशपाल ने अपने उक्त दिनांकित प्रार्थना पत्र के माध्यम से बी0कॉम0 के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को परीक्षा हाल में कैलकुलेटर अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया है। जिस पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रम के छात्रों को साधारण प्रकृति के कैलकुलेटर का उपयोग परीक्षा के दौरान उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाय।

3. **छात्र क्षितिज कुमार नेगी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2013 पर विचार :–**

श्री नेगी ने उक्त दिनांकित अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उसने वर्ष 2007 में बी0कॉम अन्तिम वर्ष की परीक्षा अनुक्रमांक–351796 के द्वारा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है। उसको विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई प्रमाणपत्र इस बिना पर नहीं प्रदान किया गया कि वह पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में 27/100 अंक प्राप्त कर अनुत्तीर्ण रहा है। प्रकरण पर सम्यक विचार–विमर्श के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि सम्बन्धित छात्र ने हेमवतीनन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल, उत्तराखण्ड से बी0कॉम प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा क्रमशः वर्ष 2003 व वर्ष 2005 में उत्तीर्ण की है। यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण अध्ययन प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने का प्राविधान वर्ष 2005 से स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि चूँकि सम्बन्धित छात्र वर्ष 2003 में बी0कॉम0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका था। इसलिए उसे पर्यावरण अध्ययन प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। अतएव छात्र को अस्थाई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय।

4. **सुश्री रंजना सिंह के प्रकरण पर अधिष्ठाता कला संकाय की आख्या पर विचार :–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.11.2012 के मद सं0–3 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण पर अधिष्ठाता कला संकाय से प्राप्त आख्या कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसके अनुशीलनोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा के हित में उसका परीक्षा परिणाम पूर्णांक की साम्यता (Equivalence) के आधार पर घोषित कर दिया जाय।

5. **सत्र 2011–12 के विश्वविद्यालय कैम्पस में संचालित बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्र विजय राज व ऋषि सोनकर के प्रार्थना पत्रों दिनांक 02.02.2013 पर विचार :–**

प्रकरण पर कुलसचिव महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय कैम्पस में संचालित बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम के सत्र 2011–12 के अनुसूचित जाति के छात्रों के सम्बन्ध में प्रवेश समिति ने अपनी बैठक दिनांक 21.09.2012 के मद सं0–1 में निर्णय लिया था कि सम्बंधित छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन से न प्राप्त होने पर सम्बंधित अभ्यर्थियों से शुल्क जमा करा कर ही उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाय । शासन से अद्यतन शुल्क प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित छात्रों ने विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करने व स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में बैठने की अनुमति चाही है। परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्रों से निर्धारित शुल्क जमा कराकर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाय।

6. **बाबूराम रूकमणी देवी महाविद्यालय, मूसानगर, कानपुर देहात के प्रबन्धक के प्रार्थनापत्र दिनांक 04.12.2012 पर विचार :–**

उक्त दिनांकित प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि जिन तथ्यों के कारण उक्त महाविद्यालय को सत्र 2011–12 से परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया हो, उनसे सम्बन्धित को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाय।

7. **कानपुर विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ0 कमलेश यादव के पत्र दिनांक 01.02.2013 पर विचार :–**

उक्त दिनांकित पत्र के माध्यम से डॉ0 यादव ने स्ववित्तपोषित शिक्षकों को प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक बनाने का अनुरोध किया है। जिस पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि पत्र पर आगामी परीक्षा समिति की बैठक पर विचार किया जायेगा।

8. **राज्यपाल सचिवालय के पत्र सं0–ई–404/जी0एस0 दिनांक 21.01.2013 पर विचार :–**

कुलसचिव महोदय ने अवगत कराया कि राज्यपाल सचिवालय ने उक्त पत्र के माध्यम से श्री संज्जय कुमार यादव एवं अन्य के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र पर अपने स्तर से जांचोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के अपेक्षा की है। प्रार्थना पत्र में बी0एड सत्र 2012–13 की प्रायोगिक परीक्षा के अंको को यू.जी.सी मानकानुसार निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निर्णय लिया गया कि प्रकरण को विचारार्थ सम्बंधित विषय की बोर्ड आफ स्टडीज (Board of Studies) को संदर्भित कर दिया जाय।

9. **छात्र आलोक कुमार के प्रार्थनापत्र दिनांक 12.12.2012 व राष्ट्रीय एस0सी0/एस0टी0 आयोग उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ के पत्र सं0–06/129/2012 सा0 दिनांक 21.12.2012 पर विचार :–**

श्री आलोक कुमार सत्र–2012, बी0एससी0–द्वितीय वर्ष को यू0एफ0एम0 में आरोपित होने के आधार पर यू0एफ0एम0 समिति द्वारा उसका परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया था। छात्र द्वारा पूर्व कुलपति द्वारा निर्गत आदेश सं0–सी0एस0जे0एम0यू0/वी0सी0सी0/093/2011 दिनांक 14.03.2011 के आधार पर परीक्षाफल सुधारने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 27.01.2013 के विनिश्चय सं0 1(ग) के द्वारा माननीय कुलपति जी को उक्त प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया था। माननीय कुलपति जी ने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.03.2011 को विधि मान्य न होने के कारण निरस्त करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाईट से हटाने का निर्णय लिया था। उक्त जानकारी से कुलसचिव महोदय ने समिति को अवगत कराया। उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्र का परीक्षाफल यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसानुसार निरस्त माना जाय तथा छात्र को भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाय।

10. **छात्र हिमांशु शुक्ला, बी0एससी0–तृतीय, वर्ष–2011, अनुक्रमांक–0620445 के प्रकरण पर विचार :–**

कुलसचिव महोदय ने बैठक में अवगत कराया कि उक्त छात्र की गणित व भौतिक विज्ञान की कतिपय उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकनोपरान्त अंकित अंकों की विसंगतियों की जाँच हेतु एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई थी। जाँच समिति की आख्या परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से जाँच समिति की आख्या अनुमोदित की।

अन्त में मा0 कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(प्रो० अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव